मध्यप्रदेश शासन

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक/80**/2026** **भोपाल/ दिनांक** 02/02/2026

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश

विषयः- 60 वर्ष से कम आयु में होने वाली सामान्य एवं दुर्घटनाजन्य मृत्यु की रोकथाम हेतु जागरूकता एवं निवारक स्वास्थ्य उपायों के संबंध में।

***

उपरोक्त विषय के संदर्भ में जैसा कि आपको विदित है मध्यप्रदेश शासन द्वारा असंगठित वर्ग के श्रमिकों हेतु मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना संचालित की जा रही है, जिसमें **18** से **60** वर्ष आयु वर्ग के असंगठित श्रमिकों का पंजीयन कर हितलाभ वितरण किया जाता है, इस तथ्य पर आपका ध्यान आकृष्ट किया जाना उचित प्रतीत होता है कि सामान्य रूप से पिछले वर्षों में लगभग **60,000** प्रतिवर्ष से अधिक मृत्यु प्रकरणों में संबल में हितलाभ वितरण किया गया है।

विगत वर्ष **2024-25** में प्रदेश में लगभग **57,000** सामान्य मृत्यु तथा **5,800** दुर्घटनाजन्य मृत्यु प्रकरणों में संबल योजनांतर्गत हितलाभ वितरण किया गया है। उल्लेखनीय है कि उक्त हितलाभ ऐसे पंजीकृत श्रमिकों को प्रदान किया जाता है, जिनकी आयु **60** वर्ष अथवा उससे कम है तथा जैसा कि आप अवगत है, प्रदेश में औसत आयु लगभग **67** वर्ष प्रतिवेदित है।

इन तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि कार्यशील आयु वर्ग में होने वाली मृत्यु की घटनाएँ श्रम बल की उत्पादकता, परिवारों की आर्थिक सुरक्षा तथा सामाजिक स्थिरता के दृष्टिकोण तथा श्रमिकों के स्वास्थ्य के संदर्भ में चिंता का विषय है, अतः मृत्यु दर को कम करने हेतु निवारक एवं जागरूकता आधारित प्रयास आवश्यक प्रतीत होते है।

इस संबंध में निम्नलिखित कार्यवाही श्रमिकों के स्वास्थ्य तथा व्यापक रूप से उनके परिवारों की आर्थिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से जिले में प्रारंभ करने पर विचार किया जा सकता है:

1. श्रमिक स्वास्थ्य एवं जागरूकता शिबिर-

असंगठित एवं संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए प्रीवेंटिव स्वास्थ्य उपाय, नियमित स्वास्थ्य जांच, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग, तंबाकू एवं शराब के दुष्प्रभावों पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाए।

औद्योगिक क्षेत्रों, निर्माण स्थलों, ईंट भट्टों, कारखानों एवं कृषि-आधारित कार्यस्थलों पर स्वास्थ्य शिविर तथा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जा सकते हैं। इस संबंध में अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए, यह विचार किया जा सकता है कि इन शिविरों का आयोजन मासिक ग्राम सभा/वार्ड सभा के साथ किया जाए ताकि जमीनी स्तर पर प्रभावी संचार सुनिश्चित हो सके। अनुग्रह सहायता योजना के तहत सहायता के लिए स्वीकृत किये गए मामलों से संबंधित जानकारी को ग्राम/वार्ड सभा की विषय सूची में शामिल किया जा सकता है ताकि इस मामले में पारदर्शिता बनी रहे।

2. कार्यस्थल सुरक्षा एवं दुर्घटना रोकथाम-

कार्यस्थलों विशेष रूप से कारखानों व निर्माण स्थलों पर सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। हेलमेट, सेफ्टी बेल्ट, ग्लव्स, मास्क एवं अन्य सुरक्षा उपकरणों के उपयोग संबंधी प्रावधानों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाये। कार्य स्थल के साथ-साथ सड़क सुरक्षा एवं सुरक्षित परिवहन के प्रति भी श्रमिकों में जागरूकता बढ़ाई जाए।

3. प्राथमिक एवं निवारक स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ना-

श्रमिकों को नियमित स्वास्थ्य जांच (**BP**, शुगर, **BMI**, कार्डियक रिस्क) से जोड़ा जाए। उच्च जोखिम वाले श्रमिकों की पहचान कर उन्हें उचित चिकित्सा परामर्श उपलब्ध कराया जाए।

4. अंतर-विभागीय समन्वय-

श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, परिवहन एवं स्थानीय प्रशासन के समन्वय से प्रत्येक जिले द्वारा श्रमिकों के प्रीवेंटिव स्वास्थ्य उपाय, नियमित स्वास्थ्य जांच हेतु संयुक्त कार्ययोजना बनाएं।

5. मासिक समीक्षा एवं रिपोर्टिंग-

श्रमिकों/कार्यशील आयु वर्ग में हुई मृत्यु के कारणों का विश्लेषण कर इन्हें रोकने के संबंध में मासिक समीक्षा सुनिश्चित की जाये।

कार्यशील आयु वर्ग में हो रही मृत्यु की रोकथाम को प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी तथा सार्वजनिक नीति का विषय मानते हुए निवारक, संस्थागत एवं समन्वित हस्तक्षेप से न केवल श्रमिकों की स्थिति में सुधार होगा, अपितु सामाजिक व स्थिरता की स्थिति निर्मित होगी, इस संबंध में आपके व्यक्तिगत एवं प्रयासों बाबत् अनुरोध है।

संलग्न- उपरोक्तानुसार

Digitally signed by
Raghuraj Madhav Rajendran
Date: 29-01-2026 16:37:23

सचिव

म.प्र. शासन श्रम विभाग

क्रमांक/81-84**/2025** **भोपाल/ दिनांक** 02/02/2026

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, माननीय मंत्री,म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं श्रम विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. श्रमायुक्त, म.प्र. शासन, इंदौर की ओर सूचनार्थ।
3. समस्त संभागायुक्त मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
4. समस्त सहायक श्रम आयुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।

सचिव

म.प्र. शासन श्रम विभाग